



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

फोन न. 0788-2350125, फ़ैक्स न. 0788-4040118

क्रमांक / परि०शा० / न०नि० / 2024 / 1322

भिलाई, दिनांक 25/06/2024

प्रति,


प्रभारी अधिकारी
डाटा सेंटर
नगर पालिक निगम, भिलाई

विषय :- निविदा संशोधन सूचना अपलोड करने बाबत।

00

नगर पालिक निगम, भिलाई के परियोजना शाखा अंतर्गत निविदा क्रमांक 1308 दिनांक 19.06.2024 सरल क्रमांक 03, निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्यान, स्कूल एवं सामुदायिक जगहों में वृक्षारोपण कार्य की निविदा में नियम शर्तों में संशोधन किया गया है, संशोधित नियम शर्तों को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

संलग्न - संशोधित नियम शर्तें।


कार्यपालन अभियंता
परियोजना
नगर पालिक निगम
भिलाई

MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

कार्य का नाम – निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्यान, स्कूल एवं सामुदायिक जगहों में वृक्षारोपण कार्य

S.N.	PARTICULARS OF ITEMS	No	L	B	H/D	Qty	UOM
1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.						
	In all types of soils.	2500	0.5	0.5	0.80	500	cum
2	Supplying and stacking of good earth at site including royalty, loading unloading and carriage upto 5 km (earth measured in stacks will be reduced by 20% for payment).	2500	0.5	0.5	0.30	188	cum
3	Supplying and stacking at site well decayed cow dung manure from approved source, including loading, unloading and carriage upto 5 km (manure measured in stacks will be reduced by 8% for payment).	2500	0.5	0.50	0.15	93.75	cum
4	Supplying and stacking sludge at site including royalty, loading, unloading and carriage upto 5 km (sludge measured in stacks will be reduced by 8% for payment).	2500	0.50	0.50	0.15	93.75	Cum
5	Mixing earth and sludge or manure in proportion specified or directed.					375	cum
6	Spreading of sludge, dump manure or/and good earth in required thickness (Cost of sludge, dump manure or/and good earth to be paid separately).					375	cum
7	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M					125	cum

8	Providing and planting following herbs in garden including preparation of soil, base plantation, providing and spreading different fertilizers, soil and sand:							
	Hedges like Alife, Dorenta, Tikoma etc						200	Each
9	Hibiscus (Flower)/ Rose						500	Each
RODE SOR 1.1.2015								
10	Providing and planting of 3"0" to 4"0" heighted wasingtonia, filipheria/bismarkia novelist plam plants with 1"6" x 1"6" depth pit formation and soil preparation, (Mixing organic manure and plant"s protection insecticide). Up to 4 month maintenance.						500	Each
11	Providing and planting of Bogenbelia dwarf, chandni dwarf, kaner dwarf vr flower bearing plants with 0"9" x 0"9" depth pit formation and soil preparation work"s, (Mixing organic manure and plant"s protection insecticide). Up to 4 month maintenance.						1000	Each
12	Providing and planting of plumeria (Champa) 2"0" to 3"0" heighted plants with 1"0" x 1"0"x1"6" depth pit formation and soil preparation work"s, (Mixing organic manure and plant"s protection insecticide). Up to 4 month maintenance.						528	Each
13	Providing and planting of Golden durenta multi branches plants for showing mass effect in 0"6" x 0"6" distance with soil preparation work"s, (Mixing organic manure and plant"s protection insecticide). Up to 4 month maintenance.						500	Each
Non SOR								
14	providng & fixing Bambo tree guard						1276	Each

ASSISTANT ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION
BHILAI

(Signature)
SUB ENGINEER
MUNICIPAL CORPORATION BHILAI

// संशोधित नियम एवं शर्तें //

1. प्राक्कलन अनुसार नॉन एस.ओ.आर. आयटम अंतर्गत 2 वर्षों तक वृक्षों के रखरखाव/संधारण एवं जीवित रखने की जिम्मेदारी एजेंसी/फर्म की होगी।
2. अगर पेड़ किसी भी स्थिति में जीवित नहीं रह पाता है तो पुनः पेड़ लगाया जाना है इस स्थिति में पेड़ को पुनः समानुपातिक संख्या में लगाये जाने के बाद से 2 वर्ष के संधारण की गणना की जावेगी।
3. पेड़ लगाने के पूर्व इंजीनियर इंचार्ज द्वारा पेड़ की क्वालिटी एवं प्रजाति का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में पेड़ की गणना एवं भुगतान नहीं की जावेगी।
4. सभी वृक्षों का प्रकार, स्थल एवं संख्या का चयन इंजीनियर इंचार्ज के द्वारा ही किया जायेगा।
5. भिलाई निगम सीमान्तर्गत किसी भी स्थान पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु एजेंसी बाध्य रहेगा।
6. सिंचाई, खाद, दवाई एवं अन्य सभी आवश्यक रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
7. सफलतापूर्ण वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत प्राक्कलन में उल्लेखित (पेंमेंट शेडयूल) अनुसार भुगतान किया जायेगा।
8. श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके श्रमिकों, कर्मियों व कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। लगाये गये श्रमिकों का भुगतान शासन के नियमों के अंतर्गत निम्नतम श्रमिक दर अनुसार करना होगा।
9. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मचारियों के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिये अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण उपरांत दिये गये सभी निर्देशों का पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा।
11. फर्म/निविदाकार को पौधारोपण कार्य/समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रस्तुत करना होगा।

12. एजेंसी/फर्म द्वारा दिया गया दर समस्त टेक्स एवं जीएसटी इत्यादि सहित होगा।
13. प्रदाय किये जाने वाले पोधो की मोटाई, ऊँचाई और गुणवत्ता प्राक्कलन अनुसार होगी
14. किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।


Parkoff. S/E S/E